न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 27/2022

जी.सी.एम.एस. : 2022/134

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

मांगीलाल पुत्र स्वं श्री छैलसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी कंटालिया तहसील मा0ज0 जिला पाली राजस्थान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मा0ज0
2. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री स्व श्री छैलसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी कंटालिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
3. मृतक सीता बेवा स्व श्री छैलसिंह के का0मु.
   3.1 लीला पुत्री स्व श्री छैलसिंह पत्नी स्व श्री दौलत सिंह निवासी आउवा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
   3.2 गायत्री पुत्री स्व श्री छैलसिंह पत्नी रघुनाथ सिंह जाति रावणा राजपुत कृषि मण्डी मदेरणा कॉलोनी जोधपुर
   3.3 मृतक स्व द्रोपदी पुत्री स्व श्री छैलसिंह पत्नी किशन सिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सिसरवादा तहसील मा0ज0 जिला पाली के का0मु0–
   3.3.1 किशन सिंह पुत्र स्व श्री छैलसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सिसरवादा तहसील मा0ज0
   3.3.2 राखी कवंर पुत्री श्री किशन सिंह पत्नी तेज सिंह जाति रावणा राजपुत निवासी जोजावर तहसील मा0ज0
   3.3.3 हेमलता कंवर पुत्री किशनसिंह पत्नी स्व जब्बरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी पिपलियां तहसील रायपुर
   3.3.4 दिपक पुत्री श्री किशनसिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी रानी तहसील रानी जिला पाली
   3.3.5 कुलदीप सिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सिसरवादा तहसील मा0ज0 जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार

रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गर्ग।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 8-2-2023

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम कंटालिया के नामान्तरकरण संख्या 1558 दिनांक 27.05.1999 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये

अति. जिला कलक्टर, पाली

सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कंटालिया, पटवार हल्का कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के खसरा नम्बर 1286 रकबा 1.3911 किस्म बारानी के तत्कालीन खातेदार स्व छैलसिंह पुत्र श्री हरलाल जाति रावणा राजपुत अपीलाण्ट के पिता थे एवं रेस्पोडेण्टगण के पिता एवं पति थे। जिनका देहांत के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1558 भरा गया। जैर अपील नामान्तरकरण जब पारित किया गया था उस समय अपीलाण्ट शिक्षा विभाग में कार्यरत था। इसलिए अपीलाण्ट की माता श्रीमती सीतादेवी के प्रार्थना पत्र पर जैर अपील नामान्तरकरण भरा गया। अपीलाण्ट के समस्त सरकारी दस्तावेजात् में अपीलाण्ट का नाम मांगीलाल है लेकिन जाति के आधार पर एवं कंटालिया में लोग उन्हे मांगुसिंह के नाम से पहचानने के कारण जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय मांगीलाल के स्थान पर मागुंसिंह दर्ज कर दिया है। राजस्व कार्मिको ने जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करते हुए बिला बलदियत व नाम के सबध में दस्तावेजो की जाचं किये बगैर पटवारी हल्का एवं अन्य राजस्व कार्मिकों ने उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व न तो कोई जांच की, न ही छैलसिंह के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस दिया एवं न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया। जबकि कोई नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान दिए हुए है। अपीलाण्ट को अपील पेश करने तक जैर अपील नामान्तरकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन आयकर के लिए अपीलाण्ट को उक्त जैर अपील नामान्तरकरण की आवश्यकता हुई तो अपीलाण्ट दिनांक 27.05.2022 को हल्का पटवारी के पास गया एवं आवेदन किया जब उसे जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हुई। तब उसने नामान्तरकरण की नकलें लेकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील न्यायालय में पेश की है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज मांगुसिंह ही मांगीलाल है। जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर मांगुसिंह की जगह मांगीलाल किया जाता है तो उन्हें को आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1999 में दर्ज किया है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट का नाम मागुसिंह न होकर मांगीलाल है, लेकिन जाति के आधार पर उन्हे ग्राम कंटालिया में मागुंसिंह के नाम से ही जाना जाता है लेनिक सरकारी दस्तावेजो यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका एवं अपीलाण्ट शिक्षा विभाग का कार्मिक था जिसके संबध में पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों में भी अपीलाण्ट का नाम मांगुसिंह न होकर मांगीलाल पुत्र छैलसिंह ही है। उसके समस्त दस्तावेज भी इसी नाम से बने है। उसके इस तथ्य के संबंध में अधिवक्ता

अति. जिला कलक्टर, पाली

रेस्पोडेण्टगण ने भी अपनी सहमति दी है तथा अपीलाण्ट मांगीलाल एवं मांगुसिंह एक ही व्यक्ति है, इसकी ताईद में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका की प्रति, आधार कार्ड की प्रति एवं शिक्षा विभाग द्वारा अपीलाण्ट के कार्मिक होने के संबध में कार्यालय आदेश की छाया प्रति पेश की है। जिससे भी यही प्रतीत है कि अपीलाण्ट मांगीलाल एवं मांगुसिंह एक ही है। कोई भी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम कंटालिया के नामान्तरकरण संख्या 1558 दिनांक 27.05.1999 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक छैलसिंह के विधिक वारिसान एवं दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 8-2-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली